(256)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230065, फैक्स: 05962.232182ई–मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 1775 /12-1(2) अल्मोड़ा दिनांक 11-10-2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– जनपद अल्मोड़ा में सबोली बैण्ड से तौलबुधानी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 7.077 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं0 10443/2015)।

सन्दर्भ :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर, फारेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड देहरादून का कार्यालय पत्रांक 67/FP/UK/ROAD/10443/2015 दिनांक 07.07.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रस्ताव में नोडल कार्यालय द्वारा 6 बिन्दुओं पर लगायी गयी आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण निम्नवत इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है–

क्र. सं.	आपत्ति	निराकरण
1	बिन्दु संख्या–2 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सूचना का ऑनलाईन पोर्टल पर संशोधन किया जाना अपेक्षित है।	बिन्दु संख्या–2 के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त सूचना को संशोधन कर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर दी गयी है।
2	बिन्दु संख्या 3 के क्रम में अवगत कराना है कि GPS Map के स्थान पर Google Map प्रेषित किये गये हैं, जबकि GPS Map मूल प्रति में इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने हैं।	बिन्दु संख्या–3 की सूचना के अनुपालन में जी0पी0एस0 मैप के स्थान पर गूगल मैप त्रुटिवश अपलोड कर दिया गया था उसके स्थान पर जी0पी0एस0 मैप की मूल प्रति पोर्टल पर ऑनलाईन कर मूल प्रति प्रेषित की गयी है।
3	भारत सरकार के पत्र संख्या–5–3/2011–FC(Vol) दिनांक 06.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के पुनर्निधारण किया गया है एवं पत्र संख्या–5–3/2011–FC(Vol) दिनांक 19.01.2022 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार ऐसे प्रस्तावों को चिन्हित किया गया है, जिनमें एन0पी0वी0 की नई दरों के अनुसार अतिरिक्त देयक धनराशि जमा करायी जानी है। अपने स्तर से प्रयोक्ता अभिकरण को निर्देशित करने का कष्ट करें।	एन0पी0वी0 जमा करने हेतु उच्च स्तर से जमा करने हेतु जो भी निर्देश दिये जायेंगे, विभाग द्वारा एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि जमा कर दी जायेगी।
4	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल की DSS Analysis की रिपोर्ट अपलोड नहीं की गयी है। उपरोक्त हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2044/1-42(III) दिनांक 22.02.2022 एवं शासन के पत्रांक 290/X-3-22/5(03)2019 के द्वारा पूर्व में लिखा गया है। अतः DSS Analysis की रिपोर्ट अपनी संस्तुति सहित प्रस्ताव में अपलोड करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम धूरा की भूमि चयनित की गयी थी। उक्त भूमि वन पंचायत होने के कारण क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पुनः भूमि की मांग की गयी। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम मसड़ियाबांज ग्राम भीताकोट व ग्राम डूंगरा की 14.154 है0 आवंटन की गयी उक्त सिविल भूमि का संयुक्त निरीक्षण कर दिया गया है। सिविल भूमि

P/C

		क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त पायी गयी है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण/मानचित्र संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर मानचित्र मूल में प्रेषित किया गया है।
	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों की सूची का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित व्यासवार एवं प्रजातिवार सूची प्रस्ताव में संलग्न करने का कष्ट करें।	प्रस्ताव में संलग्न प्रभावित वृक्षों का वैज्ञानिक नाम, सामान्य नाम एवं इंग्लिश नाम सहित वृक्षों की सूची ऑनलाईन अपलोड कर दी गयी है।
6	भारत सरकार के निर्देशानुसार स्पष्ट मलवा निस्तारण योजना संलग्न की जाये। मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाम भूमि के सम्बन्ध में भूमि स्वामी की अनापत्ति संलग्न करने का कष्ट करें।	मलवा निस्तारण योजना तथा मलवा निस्तारण हेतु चयनित नाम भूमि के भू-स्वामियों की अनापत्ति संलग्न कर प्रेषित की गयी है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

पत्रांक 1775 / 12-1(2) उक्त दिनांकित।

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग अल्मोडा।

E:\2- data transfer\Land transfer letter 2022.docx